REVIEW OF RESEARCH
IMPACT FACTOR : 5.2331(UIF) UGC APPROVED JOURNAL NO. 48514 ISSN: 2249-894X
VOLUME - 7 | ISSUE - 10 | JULY - 2018

झारखण्ड में उग्रवाद की समस्या – कारण एवं समाधान

Juin Banerjee[1] and Dr. Reeta kr. Sharma[2]
[1]Research Scholar , Jharkhand Rai University.
[2]HOD Department of Philosophy, S.S.L.N.T.M.M. Dhanbad.

परिचय :-

उग्रवाद की समस्या इस स्तर तक पहुँच गई है कि इससे सम्बन्धित कोई-न-कोई वारदात प्रत्येक दिन एवं क्षण घटित हो रहे हैं। अखबार एवं टेलीविजन पर आ रहे समाचार की सुर्खियों में शायद ही ऐसा होती है कि उग्रवाद की कोई खबर नहीं हो। यह समस्या अकेले झारखण्ड की नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय समस्या बन गई है। गृह मंत्रालय के आकडे बताते है कि देश के १२ राज्य नक्सली हिंसा की आगे से जल रहे है। गैर- सरकारी (फैक्ट इण्डिया) आंकडों के अनुसार देश के ३५ राज्यों में से कम-से-कम १६ राज्य और उनके २२२ जिले नक्सली हिंसा की चपेट में है। नक्सल प्रभावित १६ राज्यों में झारखण्ड, बिहार, उडीसा, छत्तीसगढ, उत्तरप्रदेश, उत्तरांचल, पश्चिम बंगाल, केरल, तामिलनाडु, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट, गुजरात एवं मध्यप्रदेश शामिल है।

झारखण्ड बनने के समय इनके १२ जिले उग्रवाद प्रभावित थे जो वर्ष २००६ तक लगभग सम्पूर्ण झारखण्ड उग्रवाद की चपेट में आ गया है। उग्रवादी जब आधुनिकतम हथियारों से लैंस होकर सुरक्षा एजेंसियों को चुनौती देते है। उग्रवादियों ने वर्ष २००७ से इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाईसेज (आइइडी) नामक उच्चत्तम मारक क्षमता वाले विस्फोटक और आधुनिकतम रोड माइन्स की शुरूआत कर दी है। २००७ में १३८५ नक्सली हिंसा की घटनाएँ दर्ज हुई, जिसमें २१४ सुरक्षा-कर्मी और ४१८ नागरिक मार गये। उनमें ६८.१६ः घटनाएं और ७६.४२ः मौत केवल झारखण्ड और छत्तीसगढ में दर्ज है। केन्द्रीय गृह मंत्रालय का हालिया आंकडा बताता है कि वर्ष २००८ में उग्रवादी घटनाओं की संख्या व्यापक तौर से स्थिर रहीं, लेकिन झारखण्ड, बिहार, उडीसा और छत्तीसगढ में उल्लेखनीय बढोतरी दर्ज की गयी। झारखण्ड में २८६ घटनाओं में ४०५ मौते, छत्तीसगढ में २६१ मौते, उडीसा में १३२ और बिहार में ७१ मौत के रिकॉर्ड दर्ज हुए। उग्रवादी हिंसा में आम आदमी ही नहीं, उच्च सुरक्षा घेरे वाले सांसद और विधायक भी मारे जा रहे है। झारखण्ड में झामुमों सांसद सुनील कुमार महतो जदयू विधायक दल के नेता रमेश सिंह मुंडा और पूर्व मुख्यमंत्री बाबुलाल मराण्डी के पुत्र सहित दर्जन भर से अधिक नेताओं की बलि चढी है।

उग्रवाद के कारण सामाजिक एवं आर्थिक विकास अवरूद्ध हो गया है। नवसृजित झारखण्ड के निवासियों का सपना था कि अपना राज्य बनने से हम हरेक क्षेत्र में विकास करेंगें। परन्तु स्थिति एकदम उलटा हुआ है। हम पहले से भी खराब स्थिति में पहुँच गये है। केन्द्र से प्रायोजित रेल, सडक एवं अन्य विकास की योजनाएं आगे नहीं बढ पा रहा है। कई निवेशक राज्य में उद्योग लगाने की हिम्मत किये लेकिन उग्रवाद एवं कानून व्यवस्था की समस्या के आगे टिक नहीं पायें। आये दिन उग्रवादी सार्वजनिक सम्पतियों को नुकसान पहुँचा रहे है। वर्ष २००८ में झारखण्ड में ३० और बिहार के १२ स्कूल नक्सली हमले का शिकार हुए। नवम्बर २००६ में झारखण्ड के १४ और बिहार के स्कूलों को नक्सली ने निशाना बनाया। केवल २००६ में नक्सली संगठनों ने ५३ दिन राज्य की गतिविधियों को ठप्प करने का कार्य किया। इससे हर दिन लगभग ५ अरब रूपये का नुकसान राज्य को उठाना पडा। इस राज्य में

पर्यटन की आपार संभावनाये है लेकिन उग्रवाद के कारण यह पिछडा हुआ है। उग्रवाद ने जहां राज्य के आर्थिक विकास को पूरी तरह तो ठप्प कर ही दिया है तथा जन–जीवन को भी बुरी तरह प्रभावित किया है।

अध्ययन के उद्देश्य

- झारखण्ड में उग्रवाद की समस्या के कारणों का विशलेषण करना।
- उग्रवादी गतिविधियों का सामाजिक–आर्थिक विकास पर पडने वाले प्रभावों का अध्ययन करना।
- उग्रवाद का समाप्त करने की दिशा में केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा किये गये प्रयासों का अध्ययन करना।
- उग्रवाद का समाप्त करने हेतु आवश्यक सुझाव प्रस्तुत करना।

शोध–विधि

यह शोध–पत्र द्वितीयक समक, मुद्रित साम्रगी, सामाजिक कार्यकर्ता एवं सरकारी अधिकारियों के विचार विमर्श पर आधारित है।

साहित्य संग्रह

सीबीआई के पूर्व निदेशक जामिंदर सिंह का कहना है कि उग्रवादियों का बातचीत के लिए बुलाने में कोई हर्ज नहीं है, जब तक कि उग्रवाद के सफाये की रणनीति कायम है। लेकिन इसका कोई प्रमाण नहीं दिखता। हथियार प्रशिक्षण, खुफिया सूचनाओं एवं संसाधन के मामले में राज्य पुलिस दीन हीन है और ये दशक भर से गंभीर होती गयी समस्या से नहीं निबट सकती।

यह महाविनाश कोरी अपीला के जरिये थमने वाला नहीं है। वर्ष २००४ में आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा बातचीत का नाटक न माआवादियों व नक्सलियों की ओर संगठित ताकतवर ही बना दिया गया है।

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने ठीक ही माना है कि माओवादियों का विद्रोह देश की सुरक्षा के लिए सबसे बडा खतरा है। यहां तक कि वर्तमान गृह मंत्री पी० चिदम्बरभ ने भी कहा है कि नक्सलियों के विरूद्ध अभी लम्बी लडाई लडनी है। उन्होंने माओवादी गुरिल्लाओं को अपने सशस्त्र संघर्ष को छोडकर बातचीत का रास्ता अपनाने और हिंसाग्रस्त राज्यों के विकास में शामिल होने की सलाह दी है। उन्होंने यह भी कहा कि नक्सलवादी केवल हिंसा में विश्वास करते है और हमेशा युद्ध व मरने–मारने वाले शब्दों का प्रयोग करते है। पर हम इसे युद्ध के रूप में नहीं लेते।

नक्सलवादियों व माओवादियों के हिंसक हमले के कुछ विवरण निम्नांकित है।

- एन चन्द्रबाबू नायडू पर हमला (अक्टूबर २००३)। टीडीपी प्रमुख तथा आंध्रप्रदेश के तत्कालिन मुख्यमंत्री जब तिरूपति की यात्रा पर थे तब माइंस फटने में कुछ बिलम्ब से उनकी जान बच गई।
- २००७ में जमशेदपुर में झामुमो सांसद सुनील महतो और उनके अंगरक्षकों की हत्या उग्रवादियों ने एक फुटबाल मैच के दौरान कर दी।
- झारखण्ड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मराण्डी के बेटे अनुप सहित १७ लोगों की हत्या गिरीडीह के चिलखदिया गांव में कर दी।
- एक हजार से अधिक माओवादी लडाकों ने ओडिशा के कोरापुट जिला मुख्यालय पर हमला किया और २०० आत्याधुनिक हथियार सहित ५० करोड के अन्य शस्त्र लूट लिये।
- १३ नवम्बर २००५ को माओवादियों ने जहानाबाद शहर को कब्जे में लेकर ३७५ कैदियों जिनमें १३० नक्सली भी थे, को छुडा लिया। उन्होंने १८५ राइफलें व कारतुसे भी लूट ली।

- २४ मार्च २००६ को ५०० से अधिक माओवादियों ने गजपती जिले के उदयगिरी में पुलिस कैंप पर धावा बोलकर तीन पुलिसकर्मियों को मार डाला और ४० कैदियों को छुडा लिया।
- छत्तीसगढ के दंतेवाडा में १७ जूलाई २००६ को ८०० की संख्या में सशस्त्र दस्ते ने २५ लोगों को मार डाला।
- २००७ में छत्तीसगढ में ५५ पुलिसकर्मियों की हत्या रानी बोदी गांव में कर दी। इसमें ३१ स्पेशल पुलिस अफसर थे।
- छत्तीसगढ के दंतेवाडा में जेल पर हमला कर ३०३ कैदियों को छुडाया, जिसमें १०० नक्सली थे
- नयागढ में १५ जनवरी २००८ को एक भीषण हमले में जिला मुख्यालय को घेर लिया और १४ पुलिसकर्मियों को मार डाला।
- ५ अक्टूबर २००९ को झारखण्ड के एक पुलिस इंस्पेक्टर, जिसका अपहरण कुछ दिनों पहले माओवादियों द्वारा एक भीड-भाडवाल बाजार से किया गया था, का सिर कटा शव पाया गया। वह झारखण्ड के ३३९ व पुलिसकर्मी थे, जो २००३ से शुरू हुए नक्सली में मारे गये।

उग्रवाद के कारण

उग्रवाद आंदोलन १९६७ के चारू मजुमदार वाले नक्सलवाद की देन नहीं, यह तो उससे काफी पहले से जारी सामंतवादियों के शोषण का नतीजा है। उग्रवाद को फैलाने में गरीबी, बेरोजगारी, पलायन, भष्ट्राचार, अशिक्षा, न्याय में बिलम्ब एवं त्रुटि, क्षेत्रवाद, जातिवाद, शोषण, विकास के लिए समान अवसर न मिलना, आर्थिक विषमता, प्रतिभा की उपेक्षा, सामाजिक समरसता का अभाव, नैतिकता की कमी के साथ-साथ सरकारी शासन की त्रुटियां जिम्मेवार है। उग्रवाद अब इन सबसे अलग हटकर अब राजनीतिक समस्या का रूप ले लिया है। जन सरोकार के सवाल उठाकर उग्रवादी संगठन राज्य में समानान्तर सरकार चला रही है। सम्पूर्ण झारखण्ड को उग्रवाद ने अपने शिकंजे में ले लिया है जिसके लिए शासन निम्न कारणों से जिम्मेवार ठहराया जा सकता है।

- स्थायी सरकार का नहीं होना ,उग्रवाद के बढते मकडजाल का प्रभावी कारण बना। किसी भी सरकार में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वह इससे निपटने के लिए ठोस नीतियों पर दृढता से काम करे।
- राज्य गठन के समय से ही उग्रवाद के पीछे सामाजिक और आर्थिक पिछडापन मुख्य कारक रहा है। जिसके लिए सरकार की ओर से समाधान करने पर कोई ध्यान नहीं दिया गया।
- झारखण्ड में उग्रवादियों का नेताओं से गहरे रिश्ते रहे है। इस रिश्ते में कभी-कभी खटास भी आया। विधायक महेन्द्र सिंह, रमेश सिंह मुंडा, सांसद सुनील महतो और बाबूलाल मराण्डी के पुत्र की हत्या इसके प्रमाण है। वर्ष २००९ में पलामू से कामेश्वर बैठा सांसद बने तो विधान सभा चुनाव में छह नक्सली न सिर्फ चुनाव लडे, बल्कि तोरपा से पॉलुस सुरीन जीते भी है।
- राज्य में उग्रवादियों का जनता के बीच पैठ बढा है। उनकी बातो पर जनता विश्वास करने लगी है। विस्थापन विरोधी नीति हो या विकास के महत्वपूर्ण काम, नक्सली भी अपनी सोच को समाहित करने लगे है।
- झारखण्ड के पडोसी राज्य पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ, बिहार और उडीसा प्रारम्भ से नक्सल प्रभावित रहे है जो इस राज्य में भी उग्रवाद को बढावा देने का काम किया।
- पिछले नौ साल से नक्सलवाद एवं उग्रवाद से निपटने के लिए नीतियों तो बहुत बनी, लेकिन जमीन पर नहीं उतरी। केन्द्र सरकार पुलिस आधुनिकीकरण के लिए पैसा देकर अपनी जिम्मेदारी की इतिश्री समझती रही। २००९ में केन्द्र सरकार ने इसे चुनौती के रूप में लिया है परन्तु अबतक कोई साकारात्मक प्रयास नहीं हो पाया।
- राज्य में उग्रवादियों का खौफ इतना ज्यादा है कि यहां के नेता भी इस बारे में अपना मुंह नहीं खोलते है। अपनी राजनीति और जान की वजह से ऐसे नेता कभी भी जनहित में नहीं बोलते और

सरकार से नक्सलियों के खिलाफ कारगार अभियान की वकालत नहीं करते है। इनके खिलाफ मुंह खोलने का खमियाजा इस राज्य के नेताओं को भुगतना पडा है। सांसद सुनील महतो, विधायक महेन्द्र सिंह, रमेश सिंह मुंडा की हत्या इसी कारण उग्रवादियों ने की थी।

- विकास मद के कोष का पैसा बिचौलिए के हाथों में जाने से ग्रामीणों में बढते असंतोष को उग्रवादी हवा देकर अपना पैठ बढाने में सफल हो रहे है। इसलिए विकास योजनाओं को जमीन पर उतारना जरूरी है।
- नक्सली संगठनों के कैडरों को मुख्य धारा में जोडने के लिए सरकार ने २००६ जो आत्मसमर्पण नीति की घोषणा की है, उसे नक्सलियों ने नकार दिया है। नक्सली संगठनों के अनुसार समर्पण नीति लुभावना दिखता है लेकिन उसमें पेंच भी कई है।

सामाजिक- आर्थिक विकास में बाधक

उग्रवाद झारखण्ड के विकास में सबसे बडी बाधा बनी हुई है। उग्रवादी संगठनों द्वारा बंदी बुलाना आम घटना हो गई है। इस दौरान रेल, पुल, स्कूल जैसे सार्वजनिक सम्पत्तियों को क्षतिग्रस्त करने के साथ-साथ हत्या जैसे वारदातों को भी अंजाम देते है। अविभाजित बिहार के लगभग ६५ प्रतिशत उद्योग सहित खनिज सम्पदा से भरपुर झारखण्ड आज विकास में बहुत ही पिछे चल रहा है। इस राज्य में पर्यटन की आपार संभावनाएं प्रकृति ने दिया है परन्तु उग्रवादियों के भय से यह उद्योग के रूप में विकसित नहीं हो पाया है। सरकार की ओर से उग्रवाद को समाप्त करने के लिए घोषनायें तो होती है परन्तु कोई ठोस पहल नहीं हुआ है। इसी वजह से अनेक निवेशक राज्य में उद्योग लगाने के लिए सरकार के साथ एमओयू करने के बाद भी उद्योग लगाने से पीछे हट गये।

झारखण्ड बनने के समय १२ जिले नक्सल प्रभावित थे परन्तु अब लगभग सम्पूर्ण झारखण्ड इसके प्रभाव में है। अब तो इनकी हुकूमत की स्थिति बन गई है। इनके विरूद्ध जो मुँह खोलने हैं, उनकी जान जाजी है, उनके घर-बार जला या ध्वस्त कर दिये जाते है और अनाज लूट लिये जाते है। वर्ष २००६ की शुरूआत से ही नक्सलियों ने इस राज्य में कहर बरपाना शुरू कर दिया है। ये खुले आम पुलिस-प्रशासन को चुनौती भी दे रहे है। नक्सलग्रस्त इलाकों की पुलिस को बेबस होना पडा है। इसका प्रभाव ग्रामीण क्षेत्रों पर इतना पडा कि गांव के लोगों ने नक्सलियों के आगे घुटने टेक दिये।

तालिका- ०१
२००६ में मारे गये पुलिस कर्मी

तिथियां	स्थान	संख्या
१७ जनवरी	मनिका	०६
१८ मार्च	गिरीडीह	०१
०६ अप्रैल	पलामू	०१
११ अप्रैल	अडकी	०५
१५ अप्रैल	लातेहार	०१
१६ अप्रैल	चंदवा	१०
१७ अप्रैल	लातेहार	०१
१६ मई	चाईबासा	०१
१० जून	चक्रधरपुर	११
१२ जून	बोकारो	११
२५ सितम्बर	अडकी	०१
०६ अक्टूबर	नामकुम	०१
१२ दिसम्बर	दुमका	०१

१४ दिसम्बर	लोहरदगा	०२
१८ दिसम्बर	चाईबासा	०१
१८ दिसम्बर	पलामू	०१

स्त्रोत : हिन्दुस्तान, दैनिक समाचार पत्र, धनबाद २५ दिसम्बर, २००६ पृष्ठ – ६

तालिका– ०२
२००६ में नक्सलियों का बंद

तिथियां	संगठन	तिथियां	संगठन
१७ जनवरी	भाकपा माओवादी	१५–१६ मई	पी एल एफ आई
२०–२६ जनवरी	पी एल एफ आई	०१ जून	भाकपा माओवादी
२२ जनवरी	भाकपा माओवादी	१२ जून	भाकपा माओवादी
२६ जनवरी	भाकपा माओवादी	१७ जून	पी एल एफ आई
०४ फरवरी	भाकपा माओवादी	२२–२३ जून	भाकपा माओवादी
०६ फरवरी	भाकपा माओवादी	२२ जूलाई	भाकपा माओवादी
१५ फरवरी	जेपीसी	०१ अगस्त	भाकपा माओवादी
२८ फरवरी	भाकपा माओवादी	१४–१६ अगस्त	पी एल एफ आई
२२ मार्च	पी एल एफ आई	१७ अगस्त	भाकपा माओवादी
२५ मार्च	भाकपा माओवादी	२४–२५ अगस्त	भाकपा माओवादी
०१ अप्रैल	भाकपा माओवादी	०२ सितम्बर	टीएसपीसी
१२ अप्रैल	भाकपा माओवादी	१४ सितम्बर	भाकपा माओवादी
१३–१४ अप्रैल	भाकपा माओवादी	१६ सितम्बर	पी एल एफ आई
१५–१७ अप्रैल	भाकपा माओवादी	१२–१३ अक्टूबर	भाकपा माओवादी
१६ अप्रैल	भाकपा माओवादी	२७ अक्टूबर	भाकपा माओवादी
२२ अप्रैल	भाकपा माओवादी	२० नवम्बर	भाकपा माओवादी
८–६ मई	भाकपा माओवादी	२६–३० नवम्बर	भाकपा माओवादी

स्त्रोत : हिन्दुस्तान, दैनिक समाचार पत्र, धनबाद २५ दिसम्बर, २००६ पृष्ठ – ६

तालिका– ०३
२००६ में नक्सलियोंद्वारा नष्ट किया गया बुनियादी ढांचा

रेलवे सम्पति	३८
टेलीफोन टावर्स	५३
पंचायत भवन	२०
विद्यालय इमारतें	४१
वन भवन, सडक एवं पूलिया	१२१

स्त्रोत : गृह मंत्रालय भारत सरकार

तालिका– ०४

नक्सल प्रभावित राज्यों में हिंसक घटनाओं का आंकडा					
वर्ष	घटनाओं की संख्या	मारे गये सुरक्षाकर्मी	मारे गये नागरिक	मारे गये नक्सली	हथियार बरामद
१९९८	१३५१	९२	३९७	२९७	४५२
१९९९	१२४६	९६	५०२	२६१	४९६
२०००	११७६	९८	४५२	२५४	४७९
२००१	१२०८	१२५	४३९	१९०	७१९
२००२	१४६५	१००	३८२	१४१	६४१
२००३	१५९७	१०५	४१०	२१६	५०४
२००४	१५३३	१००	४६६	८७	३६६
२००५	१६०८	१५३	५२४	२२५	५८६
२००६	१५०९	१५७	५२१	२७२	५८४
२००७	१३५०	२०४	४०१	१२७	३१२
टोटल	१४०४६	१२३०	४४९४	२०७०	५१३९

स्त्रोत – हिन्दुस्तान, दैनिक, समाचार पत्र, धनबाद ६ अप्रैल २००९ पृष्ठ – ०९

वर्ष २०१० प्रारम्भ होने के पहले दिन से ही नक्सलियों ने अपना तेवर दिखाना शुरू कर दिया है। सुरक्षा बलों पर मानवाधिकार के उल्लंधन का आरोप लगाते हुए माओवादियों ने झारखण्ड सहित पांच राज्यों में एक जनवरी की रात १२ बजे से २४ घंटे का बंद का आहृवान किया। इससे झारखण्ड को लगभग ५ अरब रूपये का नुकसान उठाना पडा है। कई ट्रेनों के मार्ग परिवर्तित होने, बडे वाहनों का परिचालन बंद होने, माल ढुलाई प्रभावित होने से आम जनजीवन को त्रस्त कर दिया। वाहन नहीं चलने से गंभीर रूप से बीमार लोगों को अस्पताल नहीं पहुँचाया जा सकता। भवन उडाये जाने से बच्चे खुले आसमान के नीचे पढाई को विवश हो गये है। यातायात प्रभावित होने से यात्रियों को जाडे की रात में काफी परेशानी का सामना करना पडा। ऐसे बंदी से रोज कमाने–खाने वालों के समक्ष रोजी–रोटी की समस्या उत्पन्न हो जाती है। बंद से जहां सरकार को राजस्व की क्षति होती है वही कई को जान भी गवानी पडनी है। इस प्रकार उग्रवाद ने स्थिति को अत्यन्त नाजुक बना दिया है।

सरकारी प्रयास

केन्द्र एवं राज्य सरकार दोनो की ही ओर से नक्सली समस्या से निपटने के लिए प्रयास किये जाते रहे है, और इस संबंध में झारखण्ड गठन के बाद से ही अनेक नीतियां बनाई तो गई, परन्तु जमीन पर नहीं उतर सकी है।

- नक्सलवाद के लिए सामाजिक और आर्थिक पिछडेपन को मुख्य कारक मानते हुए ऐसे पिछडे जिले के इलाके को विकसित करने के लिए केन्द्र सरकार ने विशेष फण्ड दिये। परन्तु ऐसे पिछडे जिले के लोगों को अपेक्षित लाभ नहीं मिल पाया। झारखण्ड बनने के नौ वर्ष बीतने के बाद भी चतरा, पलामू, गिरीडीह, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, खूंटी, तोरपा, और कोल्हान में गरीबी एवं बेरोजगारी बढी है तथा पलायन नहीं रूका है।
- केन्द्र सरकार ने पुलिस आधुनिकीकारण के लिए कोष तो उपलब्ध कराया है लेकिन आधुनिकीकारण का मामला लटका हुआ है।
- वर्ष २००९ में प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री ने इसे चुनौती के रूप में लिया है। नक्सलवाद से निपटने के लिए मुख्यमंत्रियों की दिल्ली में बैठक हुई। गृहमंत्री पी. चिंदबरम भी दो बार इस सिलसिले में रांची आए।

- उग्रवाद के खात्मे और राह भटके लोगों को मुख्य धारा में शामिल करने के निहितार्थ झारखण्ड के तत्कालीन राज्यापाल सैय्यद सिब्ते रजी ने फरवरी २००६ में एक 'आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति लागु किया है। इस नीति में आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादियों के लिए लाख रूपये भुगतान के साथ ही कई आकर्षक लाभ देने का प्रावधान किया गया। परन्तु इसका कोई फायदा नहीं मिला।
- नक्सल प्रभावित सभी राज्यों में नक्सलवाद को मिटाने के लिए केन्द्र सरकार एक वृहद नक्सल विरोधी अभियान चलाने की तैयारी कर रही है। इसमें ८० हजार सशस्त्र केन्द्रीय अर्द्ध-सैनिक बला को लगाया जायेगा। सैनिक बलों की सहायता के लिए १० हेलीकॉप्टर एवं ८० विशेषज्ञ डॉक्टरों की व्यवस्था होगी जो घायल बलों को तत्काल चिकित्सा प्रदान करेंगें।
- राज्य सरकार ने समय-समय पर उग्रवादियों से वार्ता कर इसे समाप्त करने की पहले की है। परन्तु उग्रवादी बातचीत करना ही नहीं चाहते है।

  इस प्रकार, स्पष्ट है कि केन्द्र एवं राज्य सरकार केवल नीति बनाने का काम कर रही है, परन्तु कोई भी नीति कार्यान्वित नहीं हो पायी है। उग्रवाद की समस्या दिन-प्रतिदिन विकराल होती जा रही है।

निष्कर्ष एवं सुझाव

उग्रवाद की समस्या अकेले झारखण्ड की नहीं है। इससे देश के १६ राज्य ग्रसित है। इस प्रकार उग्रवाद की समस्या एक राष्ट्रीय समस्या है। इसे समाप्त करने के लिए केन्द्र एवं राज्य सरकारों को एकजूट होकर ठोस कारवाई करनी पडेगी। एक और जहां केन्द्र इसे मिटाने के लिए एक 'वृहद नक्सल विरोधी अभियान' चलाने की तैयारी कर रही है वही राज्य सरकारों को भी इसमें पूर्ण भागीदारी देनी होगी। ऐसा देखा गया है कि जब-जब सरकार की ओर से नक्सलियों से वार्ता करने की पहल की गई है। इसके जवाब में नक्सलियों ने कोई-न-कोई वारदात को अंजाम दिया है। इससे यह पता चलता है कि उग्रवादी केवल बन्दुक की भाषा जानते है। सरकार को भी बन्दुक का जवाब बन्दुक से देना चाहिए। सरकार यह पक्ष भी रखे कि उग्रवादी मानव है और यदि वे हिंसा का रास्ता छोडने के लिए तैयार हो तो उसके हमदर्दी रखी जायेगी। उनके साथ सरकार मानवीय व्यवहार करेगी। परन्तु कानुन सबके लिए बराबर है। उग्रवादियों के साथ भी कानून की सख्ती बरतनी पडेगी।

आंध्रप्रदेश सरकार ने एंटी-नक्सल ड्राइव चला कर विगत पांच साल में वहां नक्सली हिंसा को नियंत्रित करने में अपेक्षित सफलता प्राप्त की है। गुप्तचर एजेंसियों का मानना है कि एंटी -नक्सल ड्राइव के कारण माओवादी आंध्रपदेश उडीसा और छत्तीसगढ की ओर पलायन कर गये है। आंध्रप्रदेश में इस बदलाव का श्रेय किसी एक राजनीतिक दल को नहीं जाता, सर्वपक्षीय प्रयास का नतीजा है। निम्न आंकडे से आंध्रप्रदेश में नक्सलवाद – माओवाद कोई मायने नहीं रखता है।

आंध्रप्रदेश में नक्सली हिंसा के आकडें

नक्सली हिंसा	२००४	२००५	२००६	२००७	२००८	२००९
घटनाएं	३१०	५३५	१८३	१३८	९४	छ।
नागरिक हताहत	६८	१८६	३७	४३	४५	०१
सुरक्षाकर्मी हताहत	०६	२२	१०	०२	०१	०
नक्सली हताहत	४७	१६१	१३३	४५	३६	०५
कुल मौतें	१२१	३६९	१८०	१८०	८२	०६

एक मार्च २००९तक के आंकडे उपलब्ध
स्त्रोत : हिन्दुस्तान , दैनिक समाचार पत्र, धनबाद, ६ अप्रैल २००९, पृष्ठ – ०९

झारखण्ड सहित अन्य नक्सल प्रभावित राज्यो से उग्रवाद को समाप्त किये बिना विकास की बात करना बेमानी होगी। ठीक उसी प्रकार कि एक बीमार व्यक्ति को पौष्टिक भोजन से लाभ नहीं मिलनेवाला है तबतक कि उसकी बीमारी को खत्म नहीं किया जायेगा। इस प्रकार , उग्रवाद एक रोग की तरह फैल रहा है। एक अनुमान के अनुसार केवल झारखण्ड से नक्सली एक हजार करोड की लेवी वसूलते है। अतएव उग्रवाद की सफाया हेतु गरीबी एवं बेरोजगारी को खत्म करने के साथ–साथ जोरदार ढंग से नक्सल विरोधी अभियान चलाने की जरूरत है। क्योंकि उग्रवादियों को जबतक सरकार से भय नहीं होगा, वे मानने वाले नहीं है। ऐसी स्थिति में उग्रवाद एवं नक्सलवाद से निजात दिलाना केन्द्र एवं राज्य सरकार के लिए सबसे बडी चुनौती होगी।

सन्दर्भ

१. हिन्दुस्तान, दैनिक समाचार पत्र, धनबाद, विविध अंक
२. प्रभात खबर, दैनिक समाचार पत्र, धनबाद, विविध अंक
३. दैनिक जागरण, दैनिक समाचार पत्र, धनबाद, विविध अंक,
४. इन्टरनेट